न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1885/2017

प्रार्थीगण :-	बनाम	अप्रार्थी :-
1. सुखीदेवीपत्नि शंकर		1. अध्यक्ष नगरपालिका, जैतारण्र
2. सुरजी पुत्री शंकर जातियान-बावरी,निवासी-जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)		2. अधिशाषी अधिकारी नगरपलिका जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सहपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू: 04/09/2012

उपस्थितः-

1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री भगवतीप्रसाद पटेल, अधिवकता गै.सा.।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 03/01/2018

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, सहपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 488/1030 रकबा 19-06 बीघा आई हुई है। जो जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2073 से 2076 की प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं जो प्राथ्रना पत्र का भाग माना जावें। सायलान को अपनी उपरोक्त कृषि भूमि उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार है तथा बिना किसी रोक टोक के सायलान खेती हेतु उक्त जमीन का उपयोग व उपभोग कर रहे है। गै.सा. का उपरोक्त भूमि में कोई अधिकार नही हैं तथा सायलान खातेदार काश्तकार होकर अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक रूप से काबिज हैं। आज से लगभग 4-5 रोज पूर्व गै.सा. व अन्य अधिनस्थ तथा पटवारी हल्का मौके पर आये तथा बिना सायलान की ईजाजत के सायलाल की खातेदारी भूमि में निर्वे खोदकर पक्का निर्माण करने लगे, तो सायलान ने मना किया तो नही माने इस प्रकार गै.सा. बिना किसी आधार के व अधिकार के सायलान के खातेदारी की भूमि में बलपूर्वक निर्माण कार्य कर रहे है जिन्हे अरथाइ निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना आवश्यक है ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध गै.साय के अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 488/1030 की भूमि में गैरसायान का कोई संबंध नही है। उक्त आराजी की कृषि भूमि में सायलान किस जगह काबिज है क्या पडौस है इसकी जानकारी गैरसायलान को नही है। गै.सा. व अन्य अधिनस्थ और हल्का पटवारी कभी भी मौके पर नही गये। सायलान् ने बनवाटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 488/1029 रकबा 5-14 बीघा भूमि नगरपालिका जैतारण के नाम की मालिकाना अधिकार की है उक्त आराजी की कृषि भूमि की पैमाईश करने हेतु अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण ने जरिये पत्र कमांक न0पा0जै0/16-17/1208-9 दिनांक 27/06/2016 को श्रीमान तहसीलदार जैतारण के आदेशानुसार ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 488/1029 रकबा 5-14

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बीघा की भूमि का सीमांकन नगरपालिका जैतारण के प्रतिनिधि भंवरलाल भू. अभिलेख के साथ मौके पर पहुंचकर रूबरू मौतबिरान जरीब एवं नक्शे की सहायता से डिमार्केशन किया गया और मौका फर्द ए.बी.सी.डी. से दर्शाया हुआ है जो तरमीम सुदा अलग खसरा की भूमि है इसमें सायलान किसी तरह से बाधा पहुंचाने एवं निर्माण कार्य रूकवाने का कोई कानूनी अधिकार नही है नगर पालिका के पत्र एवं फर्द मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार जैतारण के पत्र की फोटू स्टेट प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो जवाब प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। गै.सा. द्वारा सायलान की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 488/1030 रकबा 19-06 बीघा में किसी तरह का का कोई निर्माण कार्य नही किया जा रहा है सायलान की कृषि भूमि अलग है और गै.सा. की भूमि अलग है इसलिये सायलान द्वारा गै.सा. को अपनी खातेदारी एवं मालिकाना की भूमि में निर्माण करने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नही है। जब गै.सा. द्वारा सायलान के खसरा नम्बर 488/1030 की भूमि में किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नही किया जा रहा तो प्रथम दृष्टिया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। यदि सायलान द्वारा गै.सा. को अपने मालिकाना अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 488/1029 रकबा 5-14 बीघा भूमि में राज्य सरकार की स्कीम के तहत पालिका एवं जनहित में जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जो इनको रूकवाने का कोई अधिकार नही है, यदि गेरकानूनी रूप से उक्त कार्य रूकवा दिया तो गे.सा. को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही होगी। राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की है जो बजट लेफस हो जायेगा मौके पर मेटेरियल पड़ा है जो पालिका को आर्थिक नुकसान होगा इसलिये प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन गै.सा. के पक्ष में बखुबी साबित है। गै.सा. राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं अधिकारी व कर्मचारी है जो राज्य सरकार के अधिनस्थ निकाय बोर्ड के अधिकारी है इनके विरूद्ध वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व में नगरपालिका संशोधित अधिनियम 2009 की धारा 304(1) में दो माह का नोटिस देने का मेण्डेटरी प्रावधान है जो सायलान द्वारा नोटिस नही दिया गया इसके अभाव में सायलान का प्रार्थना पत्र कानूनीरूप से मेण्टीनेबल नही है। सायलान ने बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके प्रार्थना पत्र पेश किया है तीनों बिन्दू सायलान के हक में नही हैं, सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है जो मय खर्चे खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में जाहिर किया है कि उक्त विवादित आराजी मे प्रार्थी का कब्जा काश्त हैं, प्रार्थीगण की खातेदारी भमि खसरा नम्बर 488/1030 में गै.सा. जबरन निर्माण कर रहे हैं, सीमांकन भी हमारे रूबरू नही किया गया हैं, न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2014 I पेज 158 पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थीगण को नोटिस देने की आवश्यकता नही है। न्यायिक दृष्टान्त आर.एल.आर. 1988 पेज 87, पेश किया। विद्वान अधिवक्ता गै.सा. ने बहस मे जाहिर किया कि गै.सा. अपने मालिकाना हक अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 488/1029 रकबा 5-14 बीघा में भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं, निमार्ण कार्य शुरू करने पूर्व उक्त भूमि का सीमांकन करवाया गया है जो फर्द मोका रिपोर्ट जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न है। पालिका का भवन निर्माण नही करने देने मात्र से प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि सायलान का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सायलान का प्रार्थना पत्र आधारहीन व तथ्यहीन होने से मय खर्चे के खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय समायत की गई। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। सीमांकन की फर्द मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः गै.सा. अपने मालिकाना हक व अधिकार की भूमि में निर्माण कार्य कर रहे है। सायलान की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 488/1030 हैं, पैमाईश रिपोर्ट में स्पष्ट है कि गै. सा. द्वारा निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नही होता हैं। सायलान गै.सा. के विरूद्ध अस्थाँ निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जाना उचित समझतें हैं।

–:: आदेश ::–

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner